भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 337

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण

337. श्री पी. पी. चौधरीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड) डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर सुगम बना रही है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और शुरू किए गए कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से डीएनटी समुदायों की ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में हुई प्रगति का विशेषकर राजस्थान के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए स्थापित किए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) निम्नलिखित के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों के डीएनटी समुदायों को सशक्त बनाती है:

(i) उन्हें निःशुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देकर शैक्षिक सशक्तिकरण, जो उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अच्छे संस्थानों/रोज़गार में प्रवेश लेने में सक्षम बनाएगा।
(ii) स्वास्थ्य: डीएनटी समुदायों के बीच आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं।

(iii) आजीविका: डीएनटी समुदायों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सक्षम हो सकें।
(iv) भूमि और आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत डीएनटी समुदायों को घर उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाती है।

राजस्थान में अब तक, निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत 23 डीएनटी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी गई है; तथा आजीविका घटक के अंतर्गत 8,723 सदस्यों के साथ 793 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं।
(ग): आठ राज्यों में 3,438 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं, जिनमें 46,067 सदस्य हैं, जो केवल विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों से आते हैं। इनमें राजस्थान के 793 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं, जिनसे 8,723 सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) स्वयं सहायता समूहों में डीएनटी लोगों की कोई पृथक जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाए रखता है।

(घ): मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) का गठन किया है।
दो निगमों, अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और गैर-सरकारी संगठनों को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की प्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता के लिए बोर्ड द्वारा साझेदार एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

*****